

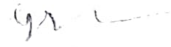
कार्यालय नगर निगम उदयपुर

क्रमांक:- लेखा/जा/21-22/128

दिनांक:- 11.02.2022

निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर द्वारा नगर निगम में फोटो स्टेट कार्य की दर सविंदा हेतु बिड आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत 8.00 लाख रु. वार्षिक है। बिड से सम्बन्धित विवरण www.sppp.raj.nic.in एवं WWW.Udaipurmc.org पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारम्भ होने तिथि 11.02.2022 निविदा प्रपत्र जमा कराने की तिथि 22.02.2022 को दोपहर 03:00 बजे तक टेण्डर बॉक्स में डालनी होगी। निविदा खोलने की तिथि 23.02.2022 प्रातः 11.30 बजे रहेगी।



महापौर
नगर निगम उदयपुर



आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंधक निदेशक राजस्थान संवाद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन एक पचास हजार प्रतियों से अधिक का परिचालन करने वाले समाचार पत्र के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर निगम पर चस्पा किया जाये।
3. कम्प्युटर आपरेटर को प्रेषित कर लेख हे कि पोर्टल पर तत्काल अपलोड करे।



आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम उदयपुर

निविदा प्रपत्र

1. नाम/फर्म
2. कार्य का नाम-- फोटो कॉपी मशीन मय ऑपरेटर
3. निविदा आमंत्रित दिनांक--
4. कार्य की अनुमानित लागत-- 8.00 लाख
5. कार्य की धरोहर राशि-- 16000/- डी.डी नं.....
6. निविदा प्रपत्र शुल्क-- 200/- रसीद नम्बर.....डी. डी नम्बर.....

विवरण

क्र.स.	कार्य का विवरण	मैक/साईज	कार्य की दर प्रति फोटो कॉपी
1.	फोटो कॉपी मशीन हेवी ड्यूटी(With Reduction and Enlargement System) नोट:- ऑटोमोटिक सिस्टम से सेट बनाने का कार्य मशीन से होगा।	1 मशीन (मय ऑपरेटर, स्टेशनरी अन्य सामग्री सहित)	राशि.....रु (अक्षरे)..... प्रति कॉपी जिसमें A4 Size ,FS Size, A3 size व आगे पीछे सभी की एक सामान्य दर होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें

1. निगम को अपने फोटो कॉपी कार्य हेतु एक फोटो कॉपी मशीन (**Heavy Duty will Enlarge & Reduce Copy System**) मय ऑपरेटर, स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। मशीन ऑटोमेटिक सेट बनाने का सिस्टम लगा हुआ होना अनिवार्य है।
2. फोटो कॉपी के कार्य सभी प्रकार के पेपर साईज पर करने होंगे। (**A4/FS/A3/with Reduction & Enlargement System**) जिसकी एक सामान्य दर प्रस्तुत करनी होगी।
3. फोटो कॉपी मशीन उपकरणों को हमेशा चालू हालात में रखा जायेगा। यदि गरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात् दुसरी मशीन लगाना या अन्य स्थान से फोटो स्टेट कराकर देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
4. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।
5. फोटो कॉपी मशीन की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि फोटो कॉपी सिस्टम अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ सिस्टम विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा, उसे स्पेसिफिकेशन अनुरूप करना होगा।
6. यदि फोटो स्टेट मशीन से स्पष्ट छाया प्रति नहीं प्राप्त होती है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। तदुपरान्त भी स्पष्ट छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर सविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
7. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान, फर्नीचर, बिजली की फिटिंग एवं बिजली की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जायेगी। साथ ही निगम द्वारा यह सुविधा भी दी जावेगी कि कार्यालय समय के पश्चात् उपकरण ताले में रखे जा सकेंगे।
8. यदि उपकरणों के चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी। अतः यदि निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
9. फोटो कॉपी संबंधी कार्य सामान्य रूप से कार्य दिवसों में कार्यालय समय में ही किया जावेगा किन्तु आवश्यकता अनुसार विशेष परिस्थितियों में कार्यालय

समय पश्चात् एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी फोटो कॉपी कार्य करना होगा।

10. फोटो कॉपी सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. भुगतान मासिक तौर महीना समाप्ति के पश्चात् ही किया जावेगा। तथा वसूलिया यदि कोई हो तो उसे प्रभावित किया जावेगा।
12. फोटो कॉपी मशीन को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. फोटो कॉपी की समस्त स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सामग्री निविदादाता की होगी। नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्टेशनरी व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जावेगी एवं स्टेशनरी गुणवत्ता वाली होनी आवश्यक है।
14. सर्व विवादों का न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।
15. निविदादाता फोटो कॉपी विवरण हेतु एक रजिस्टर संधारित करेगा। जिसका प्रफोर्मा निगम द्वारा दिया जायेगा तथा प्रतिमाह इस रजिस्टर के अनुसार फोटो कॉपी बिल का भुगतान होगा। रजिस्टर पर निगम के आदेशानुसार कर्मचारी द्वारा प्रमाणिकरण होगा।


आयुक्त
नगर निगम उदयपुर